पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) राँची–07 / 2013 :–

# झारखण्ड सरकार

## जल संसाधन विभाग

## आदेश

श्री राजा राम सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल बेनीपट्टी के विरूद्ध उक्त प्रमण्डल के पदस्थापन अवधि में एकरारनामा सं०–33F2 / 88–89 पर सब जज–III दरभंगा के न्यायालय में दायर मनीसूट सं०–8 / 99 एवं इससे उत्पन्न मनी ईजरायवाद सं०– 03 / 2003 तथा एकरारनामा सं०– 34F2 / 88–89 पर उसी न्यायालय में दायर मनीसूट सं०–09 / 99 एवं इससे उत्पन्न मनी ईजरायवाद सं०–04 / 2003 में पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में मेसर्स बजरंग एण्ड कम्पनी को अतिरिक्त राशि का भुगतान का आरोप प्रतिवेदित करते हुए बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा पत्रांक– 162 दिनांक– 07.02.2013 द्वारा मामले से संबंधित संचिका /अभिलेख प्रेषित करते हुए कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया। उक्त प्रतिवेदित आरोप के संदर्भ में विभागीय पत्रांक– 5972 दिनांक– 09.10.2013 द्वारा श्री सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण की माँग की गई।

2. श्री सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभागीय स्तर पर किया गया। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि श्री सिंह के द्वारा उक्त दोनों वादों में "Cost" की राशि पूर्ण पारित विपत्र की राशि को जोड़कर भुगतान कर दिया गया है, जो अनियमित भुगतान है। जबकि विपत्र की पूर्ण राशि पारित किया जाता है, जिस आधार पर "आवंटन" व्यय होता है तथा वास्तविक रूप में संवेदक को "चेक द्वारा भुगतेय राशि" का ही भुगतान होता है। यह F2-Agreement एवं terms & conditions के आलोक में विचारणीय होता है। विभागीय सामग्री की राशि, जमानत की राशि, बिक्री कर की राशि, आयकर की राशि आदि mandatory deduction कोटि का है। इसके लिए अलग से माननीय न्यायालय द्वारा आदेश अपेक्षित नहीं है। इस कटौती से अवमानना का प्रश्न नहीं होता है। उक्त कटौती नहीं किये जाने के कारण सूद की राशि की गणना – जयघोष राशि में दोहरे भुगतान का मामला हो गया है। जिसके लिये श्री सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता दोषी पाये गये।

3. श्री सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत से उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए पेंशन नियमावली के नियम– 139 अन्तर्गत पेंशन से "25% की कटौती 5 वर्षों के लिए" का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक– 3621 दिनांक– 07.08.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

4. श्री सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। श्री सिंह द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य एवं साक्ष्य नहीं दिया गया, मात्र यह कहा गया कि अनियमित भुगतान की राशि वर्ष 2016 में संवेदक से वसूली कर ली गई है, उक्त बातें उन्हें मौखिक रूप से जानकारी में मिली है।

सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री राजा राम सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत के द्वितीय कारण पृच्छा को तथ्यों एवं साक्ष्य के अभाव में अस्वीकृत करते हुए उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड अधिरोपित किया जाता है :–

(क) श्री राजा राम सिंह सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता को देय पेंशन से 25% की कटौती पाँच वर्षों के लिए।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 1387 राँची / दिनांक 08-03-18

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक– 22 / नि०सि०(दर०) 16–07 / 10–162 दिनांक– 07.02.2013 के क्रम में / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–01, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / श्री राजा राम सिंह, सेवानिवृत, कार्यपालक अभियंता, न्यू सिधौली (चुरा मिल के पास) स्थान+पोस्ट–डालमियानगर, जिला–रोहतास (बिहार) / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/2018

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

D:\MINZ\Letter\Order\08_J.S (N) _Ranchi_07_2013_Raja Ram Singh.docx 2